

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठारीन अधिकारी— श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.
प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021 राजीव गांधी सेवा केंद्र सांजटा

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. सिरदाराराम पुत्र लिखमाराम 2 खेमाराम पुत्र लिखमाराम 3 कोजाराम पुत्र टीकमाराम 4 भगाराम पुत्र टीकमाराम 5 रूखमोदेवी पत्नी टीकमाराम जातियान जाट निवासीयान आसुओ की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर		1 जगमालराम पुत्र खंगारराम 2 चौखाराम पुत्र खंगारराम 3 जालाराम पुत्र खंगारराम 4 सोनाराम पुत्र शम्भूराम 5 राणाराम पुत्र ताजाराम 6 पुरखाराम पुत्र अचलाराम 7 कोजाराम पुत्र भुराराम 8 गोपाराम पुत्र गंगाराम 9 जालाराम पुत्र नानगाराम 10 गंगाराम पुत्र नानगाराम 11 विक्रम पुत्र दीपाराम 12 मालाराम पुत्र खीयाराम जातियान जाट 13 रामलाल पुत्र मानाराम 14 रणछाराम पुत्र मानाराम जातियान मेघवाल निवासीयान आसुओ की ढाणी (सांजटा) तहसील एवं जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या-109/2021 दिनांक-09.11.2021

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा आसुओं की ढाणी पटवार क्षेत्र सांजटा तहसील एवं जिला बाड़मेर के खसरा नम्बर 484 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नंबर 577/485 रकबा 200.11 बीघा के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुये एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मदेनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर

दिनांक- 09/11/2021

क्रमांक/रीडर/2021/ 6246 - 6250

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करे।
2. पटवारी सांजटा तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्रवाई पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी सिरदाराराम पुत्र लिखमाराम वगैराह जाति जाट निवासी आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर
4. विप्रार्थीगण जगमालराम पुत्र खंगारराम वगैराह जाति जाट/मेघवाल निवासी आसुओं की ढाणी (सांजटा) तहसील व जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) बाड़मेर